न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—44 / 2017 / 75 (2017 / 00044)

1. चांदशाह पुत्र उस्मान शाह, जाति फकीर, हाल निवासी चंदा कॉलोनी, बिजयनगर, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. नगर पालिका पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर आदेश क्रमांक क.अ / राजस्व / एफ. 12 (सी) / 12 / 181 दिनांक 12.11.2012 .

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 व 3.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

..दिनांकः—31.1.2019

1. हस्तगत अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक क / अ / राजस्व / एफ. 12 सी / 12 / 181 दिनांक 12.11.2012 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वर्किंग खसरा नंबर 611 रकबा 15 बीघा ग्राम पुष्कर, तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित भूमि जिसे आवंटन अधिकारी के द्वारा दिनांक 5.1.1972 को कुर्बान शाह पुत्र महबूब शाह फकीर को आवंटित की गई थी, आवंटन दिवस से कब्जा चला आया । कुर्बानशाह का स्वर्गवास हो चुका है, ईलाही बक्ष कि जिसके पांच पुत्र वजीर शाह, महबूब शाह, उस्मान शाह, गनी शाह एवं नानूशाह पुत्रगण ईलाही बक्ष इनमें से वजीर शाह नाऔलाद फौत हो चुका है, महबूब शाह कि जिसका स्वर्गवास हो चुका है का एक पुत्र कुर्बान शाह जो कि नाऔलाद फौत हो चुका है तथा उस्मान शाह कि जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है जिसका एक पुत्र चांद शाह जो कि अपीलांट है एवं गनी शाह एवं नानू शाह दोनों ही नाऔलाद फोत हो चुके है । इस प्रकार कुर्बान शाह का एक मात्र वारिस अपीलांट ही है । अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर समक्ष

राजस्व वाद चांदशाह बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार प्रस्तुत कर रखा है जिसके साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया । अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 510/11 चांदशाह बनाम राज0सरकार प्रस्तुत की गई जिस पर आदेश दिनांक 2.12.2011 के अनुसार विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित कर न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर को आदेशित किया गया कि प्रकरण संख्या 235/12 (15/2010) में पक्षकारान की सुनवाई कर आदेश पारित किया जावे जिस पर सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 स्वीकार कर आदेश दिनांक 20.2.2014 को पारित किया गया जिसमें अपीलाधीन भूमि की मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने जाने के आदेश पारित किये है । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के द्वारा दिनांक 2.12.2011 को ही मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये जा चुके है, इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकारी रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के आदेश की अवमानना कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2012 को पारित कर अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 संख्या 2 के नाम हस्तातंरित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि कुर्बान शाह को दिनांक 5.1.1972 को आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन की गई थी जिस पर कुर्बान शाह एवं उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट का ही विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है, अपीलाधीन भूमि में समस्त हक अधिकार अपीलांट को ही है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अपीलांट अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है इसलिये अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर एकतरफा में आदेश पारित किया है जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी थी । अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.1.2017 को पटवारी हल्का के द्वारा अपीलांट को यह बताया कि अपीलाधीन भूमि को जिला कलक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2012 को ही नगर पालिका, पुष्कर के नाम हस्तातंरित कर दी गई है तब हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 31.1.2017 को आवेदन पेश किया जिस पर प्रतिलिपि दिनांक 2.2.2017 को प्राप्त हुई इसके पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में संबंधित दस्तावेज एकत्रित कर अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अविलंब यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण के गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि चौसाला खसरा नंबर 408 का भाग वर्किंग खसरा नंबर 611 रकबा 35 बीघा भूमि में से रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा कुर्बान शाह को दिनांक 5.1.1972 को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन आदेश आज दिवस तक प्रभावी है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपील संख्या 510/2011 चांदशाह बनाम सरकार की अपील में न्यायालय हाजा के द्वारा आदेश दिनांक 2.12.2011 को पारित कर अपीलाधीन भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी गई थी जिसकी संपूर्ण जानकारी अधीनस्थ अधिकारी एवं राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर को थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 के द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवमानना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि के प्रतिकूल है। अपीलाधीन भूमि कुर्बान शाह को आवंटित की गई थी । कुर्बान शाह का स्वर्गवास हो चुका है। ईलाही बक्ष के पांच पुत्र वजीर शाह, महबूब शाह, उस्मान शाह, गनी शाह एवं नानू शाह पुत्रगण ईलाही बक्ष थे, इनमें से वजीर, गनी शाह, नानू शाह नाऔलाद फौत हो चुके थे तथा महबूब शाह का भी स्वर्गवास हो गया जिसका एक पुत्र कुर्बान शाह ` भी नाऔलाद फौत हो चुका है तथा उस्मान शाह जो अपीलांट के पिता थे का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस अपीलांट चांदशाह ही है । इस प्रकार आवंटी कुर्बान शाह का वारिस अपीलांट ही है । अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि के संबंध में जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि जो कि पुष्कर तहसील में स्थित है, के संदर्भ में तहसीलदार, मसूदा के समक्ष आदेश के अनुसार राशि जमा कराई जाने एवं विवादित भूमि का कब्जा तहसीलदार, मसूदा के जरिये रेस्पो0 संख्या 2 को दिये जाने के आदेश पारित किये गये थे जबकि विवादित भूमि तहसील, मसूदा के क्षैत्राधिकार में ही नहीं है बल्कि विवादित भूमि तहसील पुष्कर के क्षैत्राधिकार में है ऐसी अवस्था में विवादित भूमि बाबत् अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया है विधि के प्रतिकूल है । अपीलाधीन भूमि जिस पर आवंटी कुर्बान शाह के द्वारा काश्त की गई, जिसका उल्लेख खसरा परिवर्तनशील संवत् 2030 में बाजरा की काश्त का उल्लेख किया गया है एवं कॉलम नंबर 15 में आवंटी कुर्बान शाह के द्वारा बाजरा मोठ की काश्त भी दर्ज की गई है तथा संवत् 2032 में भी आवंटी कुर्बान शाह के द्वारा बाजरा, मोठ की काश्त दर्ज की गई है, इसी प्रकार संवत 2033 में भी आवंटी की बाजरा व चंवला की काश्त दर्ज है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के संदर्भ में अपीलांट के द्वारा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92–ए व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के समक्ष दिनांक 11.1.2010 को चांदशाह बनाम राज0 सरकार प्रस्तुत किया जो आज दिनांक तक विचाराधीन है । उक्त वाद के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 द्वारा विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित नहीं की जा सकती थी इसके बावजदू अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 12.11.2012 को अपीलाधीन भूमि वर्तमान खसरा नंबर 2233 रकबा 1.60 है0, 2234 रकबा 3.21 है0, में से रकबा 15 बीघा भूमि की हद तक निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1127, आर0बी0जे0 2013 (20) पेज 569 सुप्रीमकोर्ट, 2001 (2) डब्ल्यू0एल0सी0 पेज 133 हेडनोट–बी के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 3 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमियां सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने नगर पालिका पुष्कर को हस्तातंरित की है । विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि विवादित भूमि अपीलांट के पूर्वज कुर्बान शाह को दिनांक 5.1.1972 को आवंटन हुई थी तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया । अपीलाधीन भूमि अपीलांट के पूर्वज को आवंटित होने से अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । विवादित भूमि अपीलांट के पूर्वज को आवंटित भूमि थी किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने जानकारी के जो स्रोत बताये है वे उचित प्रतीत होते है । अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र का रेस्पो0 द्वारा विरोध नहीं किया गया है एव ंना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर के चौसाला खसरा नंबर 408 का भाग 15 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 5.1.1972 को कुर्बान शाह को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था । पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त आवंटन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो। आवंटन आदेश 5.1.1972 निरस्तीकरण के अभाव में आज दिवस तक प्रभाव में है। चौसाला खसरा नंबर 408 रकबा 15 बीघा के वर्किंग खसरा नंबर 611 कायम किये तथा इसके वर्तमान खसरा नंबर 2233 रकबा 1.60 है0, खसरा संख्या 2234 रकबा 3.21 है0 में से 15 बीघा भूमि पर कुर्बान शाह के वारिस अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलांट ने आवंटी कुर्बान शाह के वारिस होने के संबधं में कार्यालय ग्राम पंचायत, पीसांगन का वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 3.3.1997 पेश किया है । अपीलांट ने आवंटित भूमि पर कब्जे काश्त की पुष्टि बाबत् संवत् 2033 में बाजरा, चंवला की काश्त एवं इसी प्रकार संवत् 2030 से 2038 की पी–14 में भी कुर्बान शाह की काश्त दर्ज है साथ ही दिनांक 5.1.1972 को हुए आवंटन आदेश का भी इंद्राज दर्ज है । इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भली भांति सिद्ध है कि विवादित भूमि अपीलांट के पूर्वज कुर्बान शाह को दिनांक 5.1.1972 को आवंटन की गई थी तथा आवंटन के पश्चात् आवंटित भूमि पर आवंटी एवं उसकी मृत्यु उपरांत अपीलांट

का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलांट द्वारा उक्त आवटन आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज नहीं किये जाने के कारण न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के समक्ष घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में क्षैत्राधिकार परिवर्तित होने से उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के न्यायालय में विचाराधीन है । उक्त वाद के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 चांदशाह बनाम राज0 सरकार पेश किया था जिसकी अपील हाजा न्यायालय के समक्ष चांदशाह बनाम सरकार अपील संख्या 510/2011 प्रस्तुत किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 2.12.2011 को अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर राज0सरकार जरिये तहसीलदार को पाबंद किया कि विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 दिनांक 20.2.2014 को स्वीकार कर ताफैसला वाद दोनों पक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति निस्तारण तक बनाये रखे । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 12.11.2012 को विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि को नगर पालिका पुष्कर को हस्तातंरित कर दी जबकि विवादित भूमि के संदर्भ में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन था तथा राज0सरकार जरिये तहसीलदार पक्षकार थे जिन्हें वाद के तथ्यों एवं स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद भूमि स्थगन आदेश का उल्लंघन कर दिनांक 12.11.2011 को नगर पालिका पुष्कर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये जो अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर0बी0जे0 2013 पेज 569 मान0 उच्चत्तम न्यायालय में प्रतिपादित सिद्धांतों के विरूद्ध है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में मान0 उच्चत्तम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां वाद विचाराधीन हो और स्थगन आदेश दिया गया हो उसके बावजूद भी यदि हस्तातंरण होता है तो वह गैर कानूनी व शून्य है । इसी प्रकार डब्ल्यू0एल0सी0 2001 (2) पेज 133 हेडनोट–बी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बून्दी बनाम कैलाशचंद गुप्ता व अन्य में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि '' सम्पति अन्तरण अधि0 1882, धारा 52–व्याप्ति–वादग्रस्त सम्पति को जिस न्यायालय में वाद लंबित है, उसकी पूर्वानुमति से ही अन्तरित किया जा सकता है, ।'' साथ ही 2014 पार्ट–2 आर0आर0टी0 पेज 1127 में मान0 राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि' '' प्रथम आवंटन के होते हुए उसी भूमि का द्वितीय आवंटन वैध नहीं है।'' इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन भूमि दौराने वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के होते हुए तथा आवंटन आदेश दिनांक 5.1.1972 के प्रभावी रहते हुए अपीलाधीन भूमि जो दिनांक 12.11.2012 को नगर पालिका पुष्कर को हस्तातंरित की गई है उसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांट अधिवक्ता द्वारा एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन 14769/2014 सरकार बनाम द्रोपदी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 12.1.2017 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि इसी चौसाला खसरा नंबर 408 जिसका कुल रकबा 135 बीघा 5 बिस्वा था जिसमें से कुछ भूमि दिनांक 23.12.1971 को पांच व्यक्तियों को कुल 75 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जो भूमि गलत तौर से कलक्टर, अजमेर द्वारा नगर पालिका पुष्कर के नाम दर्ज कर दी गई थी जिसकी भी अपील हाजा न्यायालय में आवंटियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर ये अपील स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के हस्तातंरण आदेश को निरस्त किया गया है जिसकी अपील एवं स्पेशल अपील मान0 राजस्व मण्डल में किये जाने पर मान0 राजस्व मण्डल द्वारा भी दोनों अपीलें निरस्त कर हाजा न्यायालय का

आदेश यथावत् रखा गया है । इसके विरूद्ध राज0 सरकार तहसीलदार एवं नगर पालिका पुष्कर द्वारा मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय में उपरोक्त उनवानी रिट पेश की गई जिसे भी मान0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया कि यदि आवंटी का आवंटन निरस्त हो जाता है अथवा शून्य पाया जाता है तो जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा नगर पालिका पुष्कर के पक्ष पारित हस्तातंरण आदेश स्वतः ही प्रभावी हो जावेगा ।

12. उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजी का अपीलांट के पूर्वज के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 5.1.1972 आज दिवस तक बहाल है तथा उक्त आराजियात के संबंध में न्यायालय हाजा एवं सहायक कलक्टर, मुख्यालय अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश के रहते विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 नगर पालिका, पुष्कर को विवादित भूमि का किया गया हस्तातंरण आदेश विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है तथा उक्त हस्तातंरण आदेश अपीलाधीन भूमि की हद तक निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

13. अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित क.अ./राजस्व/एफ. 12 सी/12/181 दिनांक 12.11.2012 ग्राम पुष्कर, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर स्थित वर्किंग खसरा नंबर 611 रकबा 15 बीघा के वर्तमान खसरा नंबर 2233 रकबा 1.60 है0, खसरा नंबर 2234 रकबा 3.21 है0 में से 15 बीघा भूमि की हद तक तक अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. .निर्णय आज दिनांक 31.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे .इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर